आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	P.M. 16.7.19
	आदेश	
	विविध वाद संख्या– 34/2018–19	
	धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता	
	नेजाम अंसारी वगैरह .... प्रथम पक्ष	
	बनाम	
	नसीरूल्लाह अंसारी ....द्वितीय पक्ष	
27.12.2018	यह प्रकिया आवेदक नेजाम अंसारी पिता– स्व0 इजराईल मियाँ, 2. इब्राहिम मियाँ पिता– स्व0 हनीफ मियाँ 3. रफीक मियाँ 4. कलीम मियाँ दोनो के पिता– स्व0 अतिम मियाँ, सभी ग्राम– चीरू, टोला– पटखाही, पो0– मुनकेरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू ने 1. नसीरूल्लाह अंसारी पिता– स्व0 सरफुद्दीन अंसारी, ग्राम– चीरू, टोला– पटखाही, पो0– मुनकेरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त पत्र पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 1031 दिनांक– 04.10.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने डी0 आर0 नं0– 1061/18 दिनांक– 15.10.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति– व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने हेतु अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– मौजा– चीरू, खाता सं0– 07, प्लॉट सं0– 3599, कुल रकबा–0.84	

27/12/18

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	
	एकड़ विवादित रकबा— 0.05 एकड़ चौहद्दी उतर— ईनुस अंसारी का मकान, दक्षिण— सुलेमान अंसारी, पूरब— रास्ता (पी0सी0सी0 रोड), पश्चिम— अजीमुल्लाह अंसारी का मकान के लिये विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रश्नगत भूमि मौजा— चीरू, खाता सं0— 07, प्लॉट सं0— 3599, रकबा— 0.7 1/2 एकड़ चौहद्दी उतर— समीम मियाँ, दक्षिण— सुलेमान मियाँ, पूरब— रास्ता, पश्चिम— अजीमुल्लाह अंसारी से संबंति है। प्रश्नगत भूमि का सम्पूर्ण रकबा— 0.84 एकड़ है। प्रश्नगत भूमि गत सर्वे खतियान में प्रथम पक्ष के छेरदादा स्व0 कमर अली मियाँ के नाम से दर्ज है। खात सं0— 7 में प्रश्नगत प्लॉट के अतिरिक्त उक्त प्लॉट भी है जो सभी का कुल रकबा— 19.02 एकड़ है। खतियानी रैयत स्व0 कमर अली मियाँ के दो पुत्र स्व0 रेयाज अली एवं स्व0 रोजन अली हुए। दोनो भाईयों के बीच खाता सं0— 7 के संपूर्ण रकबा— 19.2 एकड़ का 1/2 भाग आपसी मौखीक बटवारा हुआ और अपने जीवनकाल तक शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में रहे तथा उनके मृत्यू के पश्चात उनके पुत्रों का शांतिपूर्ण दखल— कब्जा हुआ। स्व0 रेयाज अली के चार पुत्र 1. स्व0 लतीफ मियाँ 2. स्व0 हनीफ मियाँ 3. स्व0 रजाक मियाँ 4. स्व0 अतिम मियाँ थे, जिन्होने अपने जीवनकाल में अपने पिता के हिस्से में प्राप्त 9.50 एकड़ भूमि	

27/12/18

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

का उतराधिकारी नामांतरण करा कर अपने जीवनकाल तक सरकारी लगान रसीद प्राप्त करते रहे। प्रथम पक्ष के सदस्यगण के पिता अपने जीवनकाल में उक्त खाता से कुछ भूमि बिक्री भी कर चुके थे जिसके कारण आज 8.63 1/4 एकड़ भूमि खाता सं0– 7 एवं 3 का मांग पंजी **II** के पृष्ट सं0– 54/1 पर चलता है। प्रथम पक्ष अपने पिता के मृत्यू के बाद भूमि पर शांतिपूर्ण दखल– कब्जा में आये तथा सरकार को मालगुजारी देकर लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। पुलिस जाँच प्रतिवेदन मे उल्लेखित है कि रजली मियाँ प्रथम पक्ष के पूर्वज थे, जिनके चार पुत्र एवं दो पुत्री थे। प्रथम पक्ष के वंशावली में रजली मियाँ कोई नहीं थे बल्कि रेयाज अली परदादा थे। द्वितीय पक्ष का यह कहना कि मेरी माँ जनबी बीबी अपने पिता– रजली मियाँ से खाता सं0– 7, प्लॉट सं0– 3599, रकबा– 0.5 एकड़ भूमि अपनी बेटी को देकर बसाये थे यह बात गलत है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह वाद मौजा– चीरू, खाता सं0– 07, प्लॉट सं0– 3599, कुल रकबा– 0.84 एकड़ अतर्गत रकबा– 0.05 एकड़ भूमि पर यह वाद कायम किया गया है। यह कि वाद भूमि खतियानी भूमि है तथा द्वितीय पक्ष के सदस्य नसीरूल्लाह अंसारी खतियानी रैयत रजल्ली मियाँ के पुत्री के पुत्र हैं। रजल्ली मियाँ के चार पुत्र 1. लतीफ मियाँ 2. हनीफ मियाँ 3. रजाक मियाँ 4. अतिम मियाँ एवं दो पुत्री में जनबी बीबी पति शफीक मियाँ जो द्वितीय पक्ष के माता हैं। जनबी बीबी के चार पुत्र 1. स्व0 रहमतुल्लाह अंसारी 2. अजमुल्लाह अंसारी 3. नसीरूल्लाह अंसारी 4. नुरुल्लाह अंसारी हैं। द्वितीय पक्ष के माता जनबी बीबी पति– शफीक मियाँ को द्वितीय पक्ष के नाना रजल्ली

27/12/18

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	
	मियाँ मौजा– चीरू के खाता सं0– 07, प्लॉट सं0– 3599 में रकबा–0.05 एकड़ भूमि देकर बसाये थे तब से द्वितीय पक्ष अपने – नाना के जीवनकाल से माता जनबी बीबी के साथ उक्त भूमि पर मकान बनाकर रहते आ रहे हैं तथा आज तक दखल– कब्जा में हैं। वाद भूमि खतियानी भूमि है, खतियानी भूमि में से मुस्लिम Law के अनुसार बहन/ पुत्री को 1/4 का हिस्सा होता है। कुल भूमि 0. 84 एकड़ का 1/4 यानी 0.21 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष का हिस्सा होता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निपटारा करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि प्रभावित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। साथ ही धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** 27/1/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। 27/1/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.30 15:45:32 +05:30
Location: 192.168.238.105